



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-31 / 2015-649

दिनांक : 15.05.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची /  
वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" (पुरानी-वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण एवं साल वृक्षों का वृद्धि अध्ययन हेतु शोध का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) के लिए कुल रु0 9.143 लाख (नौ लाख चौदह हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो०बजट-27 / 2010-39 / व०प० दिनांक 18.10.2014 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो०बजट- 27 / 2010-19 / आ० व०प० दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष- 60 " प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 9.143 लाख (नौ लाख चौदह हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	6.118
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	3.025
कुल :-		9.143

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

b

3. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601101600103 तथा 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना

सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए सरकार से स्वीकृत है जिसका चतुर्थ वर्ष का रख-रखाव कार्य हेतु राशि उप आवंटित की जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में वनरोपण स्थल पर पौधों की उत्तरजीविता के अनुरूप ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015-649 दिनांक- 15.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-31 / 2015-649 दिनांक- 15.05.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक— 1 (क)

वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2019–20 तक कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण का वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :— वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेश्पुर में साल पौधों का द्रायल वनरोपण, बरवे पी०एफ० (10 हेटो)	1.529	0.145	1.674
2	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का द्रायल वनरोपण, बरवे पी०एफ० (10 हेटो)	1.529	0.145	1.674
योग :—		3.058	0.290	3.348

अनुलग्नक— 1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2017–18 तक कार्यान्वित की जाने वाली “वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल वृक्षों का वृद्धि अध्ययन हेतु शोध से संबंधित कार्यों का वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :— वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

क्र० सं०	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v
सम्पल प्लॉट के द्वारा साल वृक्षों का वृद्धि अध्ययन				
1	शोध प्रक्षेत्र— छिपादोहर, प्रखण्ड— डालटेनगंज, कार्य स्थल— गोड़ाड़, अक्षांश— देशान्तर, थाना/थाना नं०— पाँकी/419, प्रस्तावित क्षेत्र— 2 हेटो	0.612	0.547	1.159
2	शोध प्रक्षेत्र— गोईलकेरा, प्रखण्ड— चाण्डिल, कार्य स्थल— हुन्डी, अक्षांश— देशान्तर, थाना/थाना नं०— ईचागढ़/148, प्रस्तावित क्षेत्र— 2 हेटो	0.612	0.547	1.159
3	शोध प्रक्षेत्र— हजारीबाग, प्रखण्ड— इचाक, कार्य स्थल— पोखरिया, अक्षांश— देशान्तर, थाना/थाना नं०— इचाक/15, प्रस्तावित क्षेत्र— 2 हेटो	0.612	0.547	1.159
4	शोध प्रक्षेत्र— राँची, प्रखण्ड— नामकुम, कार्य स्थल— लाली, अक्षांश— देशान्तर, थाना/थाना नं०— खिजरी/342, प्रस्तावित क्षेत्र— 2 हेटो	0.612	0.547	1.159
5	शोध प्रक्षेत्र— राँची, प्रखण्ड— जामा, कार्य स्थल— सुगापहाड़ी, अक्षांश— देशान्तर, थाना/थाना नं०— चुटो/30, प्रस्तावित क्षेत्र— 2 हेटो	0.612	0.547	1.159
योग :—		3.060	2.735	5.795
सकल योग :—		6.118	3.025	9.143

नोट :— विमागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 39 दिनांक 18.10.2014 द्वारा स्वीकृत।

अपर प्रधान शुद्ध वन संरक्षक, विकास,  
झाखण्ड, राँची

## साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु द्रायल वनरोपण कार्य दर तालिका (10 हे0 के लिए)


मजदूरी : 177.07 प्रति मानव दिवस

पौधों की दूरी – 3 मी० x 2 मी०

पौधों की संख्या – 1600 प्रति हेक्टेयर

1000 – साल एवं 600 – उसके सहयोगी (हरें, बहेसा, बीजा साल, कुसुम, महुआ, करम, पीयार, सेमल, आसन, अर्जुन, आँवला आदि)

क्र० सं०	कार्य का विवरण	दर प्रति हेक्टेयर			योग
		मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	
i	ii	iii	iv	v	vi
(A)	वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90				
1	एक कोड़नी-निकौनी	200	45980.00	0.00	45980.00
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन multi nutrient आदि)।		0.00	10000.00	10000.00
3	पौधों की सुरक्षा (एक व्यक्ति पूरे वर्ष) 25 हे0 क्षेत्रफल तक के लिए।	365	83913.50	0.00	83913.50
4	गड़दा धेरान की मरम्मत	50	11495.00	0.00	11495.00
5	पौधों की अतिरिक्त शाखाओं की कटाई-छंटाई, झाड़ी-सफाई, पौधों की मापी, आँकड़ों का संग्रहण एवं संकलन आदि कार्य।	50	11495.00	3000.00	14495.00
6	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)।	0	0.00	1500.00	1500.00
	योग :-	665	152883.50	14500.00	167383.50


 अपर प्रभान् मुख्य वन संरक्षक विकास,  
झारखण्ड, राज्य।

अनुलग्नक—

**सेम्पल प्लॉट के द्वारा साल वृक्षों का 2 हेक्टर वृद्धि अध्ययन का दर तालिका**

क्र० सं०	कार्य का विवरण	मानव दिवस प्रति हेक्टर	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
<b>वित्तीय वर्ष 2017–18 में सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 229.90</b>					
1	रथल की सफाई एवं कलाईम्बर कटिंग तथा कॉपिसिंग कार्य (2 हेक्टर)	20	9196.00	-	9196.00
2	पत्थर गाढ़कर सेम्पल प्लॉट का धेरान कार्य मरम्मति (2 हेक्टर)	10	3541.40	-	3541.40
3	ब्रान्च कटिंग, ब्लेजिंग कर पेन्डिंग तथा मार्किंग करने का कार्य	10 प्रति 100 वृक्ष	4598.00	-	4598.00
4	छाती की ऊँचाई पर गोलाई तथा ऊँचाई मापने का कार्य	4 प्रति 100 वृक्ष	1839.20	-	1839.20
5	वृक्षों के मार्किंग करने तथा सेम्पल प्लॉट के सीमा रेखा के पेड़ों पेट करने हेतु पेंट क्रय करने का खर्च	900.00 प्रति 100 वृक्ष	-	1800.00	1800.00
6	पर्यवेक्षण कार्य 183 मानव दिवस	$\frac{1}{2}$ प्रतिदिन	42071.70	-	42071.70
7	विविध खर्च यथा कागज, रजिस्टर टेप तथा विडियोग्राफी का कार्य (2 हेक्टर)	1450.00 प्रति हेक्टर	-	2900.00	2900.00
8	प्रतिवेदन मुद्रण		-	50000.00	50000.00
		कुल :-	61246.30	54700.00	115946.30

अपर प्रद्युमन मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



गोपनीय सरकार

## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

चालू विलीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-31/2015/649

दिनांक -

15-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	31884	DRNFWL020 SHRI JABBAR SINGH CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	305,800.00 रुपये तीन लाख पाँच हजार आठ सौ
2	S 19 240601101600103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	31885	DRNFWL032 BIMAL KISHORE PRASAD CCF.& STATE SILVICULTURIST JHA	306,000.00 रुपये तीन लाख छः हजार
3	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31886	DRNFWL020 SHRI JABBAR SINGH CF.PLANTATION RES.&EVL.JHKD	29,000.00 रुपये उन्तीस हजार
State Scheme : Central Scheme :				
योग: क्रमिक योग:				
रुपये छ: लाख चालीस हजार आठ सौ				
640,800.00				


(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PODPHDEVANAFSHAND

क्रमांक	विपर कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	31887	DRNFWL032  BIMAL KISHORE PRASAD CCF & STATE SILVICULTURIST JHA	273,500.00  रुपये दो लाख तीन हजार पैसे सौ

State Scheme :

Central Scheme :



योग:

273,500.00

क्रमिक योग:

रुपये नौ लाख चौदह हजार तीन सौ

914,300.00

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PASHDEVAN M P HAN